

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य से
सम्बंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों
का सारांश

प्रस्तावना

यह सारांश 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) तथा सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए बिंदुओं के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

विधानसभा को प्रस्तुत राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य के वित्त, सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), राजस्व क्षेत्र के संदर्भ में लोक लेखा समिति को तथा आर्थिक क्षेत्र प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के संदर्भ में लोक उपक्रम समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर स्वयंमेव की गई कार्रवाई की टिप्पणियों, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई हो, सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करना होता है। समिति कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु चयन करती है तथा उसके उपरान्त उन पर अपनी अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

इस सारांश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल सारांशित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख की विषयवस्तु जहाँ तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसा हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रामाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का संदर्भ लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस प्रकाशन के पिछले कवर के पार्श्व पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन	1
2.	राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन	6
3.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) पर प्रतिवेदन	12
4.	सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन	18



राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण' तथा 'वित्तीय विवरण' हैं।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरणों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय दोनों से सम्बद्ध सभी लेन-देनों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखे में समस्त लेन-देनों के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखे में (क) ऋण स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां और (घ) शेषों का सारांश निहित हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उस पर लेखापरीक्षा निरूपण निम्नवत् हैं:

वित्त लेखे का सारांश

(₹ करोड़)

प्रक्रिया	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
	योग	योग		योग	अपेक्षित	योजनागत	योग
प्रवर्ग-क: राजस्व							
कार राजस्व	5,121	5,940	सामान्य सेवाएं	7,047	7,534	70	7,604
कल-भिन राजस्व	1,785	2,081	सामाजिक सेवाएं	6,706	5,734	1,717	7,451
संघीय कर्त / शुल्कों का अंश	2,491	2,644	आर्थिक सेवाएं	3,590	3,305	1,418	4,723
भारत सरकार से अनुदान	6,314	7,178	सहायता अनुदान व अंशदान	9	--	9	9
राजस्व प्राप्तियां	15,711	17,843	राजस्व व्यय	17,352	16,583	3,204	19,787
प्रवर्ग-ख: पूंजी एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्ति	--	650	पूंजीगत परिव्यय	1,856	42	2,431	2,473
ऋणों एवं अग्रिमों की बमूली	17	41	संवितरित ऋण व अग्रिम	531	--	--	474
लोक ऋण प्राप्ति	4,050	10,877	लोक ऋण की चुकौती	1,704	--	--	8,260
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्ति	10,300	10,575	लोक लेखा संवितरण	9,227	--	--	8,844
आदि नकद शेष	(-) 295	(-) 887	अंतिम नकद शेष	(-) 887	--	--	(-) 739
योग	29,783	39,099	योग	29,783			39,099

(परिच्छेद 1.1.1)

राजकोषीय सुधार पथ

2011-12 के दौरान कम करके शून्य पर लाने हेतु अपेक्षित राजस्व घाटा तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकारार रखने का लक्ष्य लब्ध नहीं हो पाया। राजकोषीय मापदण्ड अर्थात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा 2013-14

में क्रमशः ₹ 1,641 करोड़ एवं ₹ 4,011 करोड़ था जो 2014-15 में बढ़कर क्रमशः ₹ 1,944 करोड़ एवं ₹ 4,200 करोड़ हो गया जबकि प्राथमिक घाटा ₹ 1,530 करोड़ से घटकर ₹ 1,351 करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.11.1)

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधियों की अनदेखी

अब इन निधियों को बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार ये निधियां वर्ष 2013-14 के ₹ 1671.30 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 278.55 करोड़ रह गयी। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से नहीं दी जाती, अतः वित्त लेखे केन्द्र सरकार के संसाधनों से राज्य को प्रदत्त निधि प्रवाह का सम्पूर्ण चित्रण नहीं करते।

(परिच्छेद 1.2.2)

पूंजीगत व्यय को न्यून प्राथमिकता

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी गई हैं क्योंकि सकल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशतता अनुपात 2011-12 में 11.17 व 2014-15 में 10.88 है जोकि विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 व 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से कम है।

(परिच्छेद 1.7.1)

सरकारी निवेशों की समीक्षा

2010-15 के दौरान सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों व संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में सरकारी निवेशों पर औसत प्रतिफल 3.81 प्रतिशत था जबकि सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने उधारों पर 7.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

(परिच्छेद 1.8.2)

शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिए बिना ऋण संस्वीकृत करना/देना

वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिए बिना ₹ 26.57 करोड़ की राशि ऋण के रूप में संस्वीकृत की गयी थी। विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित किए जाने पर भी राज्य सरकार ने ऋणग्राहियों/समूहों को नए ऋण व अग्रिम देना जारी रखा। वर्ष 2014-15 में शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम को ₹ 16.53 करोड़ का ऋण दिया गया था।

(परिच्छेद 1.8.3.1)

ऋणों की वसूली में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ऋणग्राहियों/समूहों को प्रदत्त 26 ऋणों व अग्रियों के सम्बंध में ₹ 79.86 करोड़ बकाया थे। ये वसूलियां वर्ष 1987-88 से 2010-11 तक नहीं की गई थीं।

(परिच्छेद 1.8.3.2)

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

2014-15 के दौरान वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत से भी अधिक था। चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 7,647 करोड़) के प्रक्षेपों से ₹ 548 करोड़ बढ़ गया जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

(परिच्छेद 1.6.2)

राजकोषीय देयताओं में वृद्धि एवं बाजार उधारों की प्रवृत्ति

राजकोषीय देयताएं चालू वर्ष (2014-15) के अंत में गत वर्ष की अपेक्षा 13 प्रतिशत बढ़कर ₹ 38,192 करोड़ हो गयी जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 214 प्रतिशत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का अंश 2010-11 के 49.45 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान बकाया ऋणों के क्रमशः 13.48 प्रतिशत तथा 13.83 प्रतिशत के विमोचन पर विशेष दबाव सहित आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 9.53 प्रतिशत की परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट थी।

(परिच्छेद 1.9.2, 1.10.4.3 तथा 1.10.4.5)

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

विनियोजन लेखे विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक् रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की प्रभारित व दत्तमत दोनों मदों के सम्बंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे इस प्रकार से वित्त प्रबंधन एवं बजट प्रावधान के अनुश्रवण को सुगम बनाते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

विनियोजन लेखे का सारांश

(₹ करोड़)

व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत					
राजस्व	18878.33	1298.82	20177.15	19214.26	(-) 962.89
पूँजी	1992.58	565.58	2558.16	2506.41	(-) 51.75
ऋण एवं अग्रिम	367.03	81.33	448.36	474.19	25.83
कुल दत्तमत	21237.94	1945.73	23183.67	22194.86	(-) 988.81
प्रभारित					
राजस्व	2794.71	2.36	2797.07	2894.20	97.13
पूँजी	-	23.49	23.49	23.12	(-) 0.37
लोक ऋण-चुकीती	1510.96	5782.02	7292.98	8259.82	966.84
कुल प्रभारित	4305.67	5807.87	10113.54	11177.14	1063.60
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) को विनियोजन					

सकल योग	25543.61	7753.60	33297.21	33372.00	74.79

बचत/आधिक्य

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समग व्ययाधिक्य ₹ 1585.69 करोड़ के अधिक व्यय का शुद्ध परिणाम था जो ₹ 1510.90 करोड़ की बचत से प्रतिसंतुलित हुआ। 2009-14 वर्षों के ₹ 5055.89 करोड़ के अतिरिक्त 2014-15 वर्ष के दौरान ₹ 1585.69 करोड़ के व्ययाधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

(परिच्छेद 2.2 तथा 2.3.1.1)

पर्याप्त अभ्यर्पण

16 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1648.74 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पण) अभ्यर्पित किए गए थे।

(परिच्छेद 2.3.4.2)

अनुपूरक अनुदान

छः मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 343.99 करोड़ का अनुपूरक अनुदान इस वर्ष के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। सात मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) में प्राप्त ₹ 5,967 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 1011.84 करोड़ के कुल अनावृत्त व्ययाधिक्य को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। अनावृत्त आधिक्य में से वित्त विभाग द्वारा ₹ 966.83 करोड़ (96 प्रतिशत) अनुदान संख्या 29-वित्त (पूँजीगत-प्रभारित) में खर्च किया गया।

(परिच्छेद 2.3.1.4)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और 54 उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की

बचत/आधिव्य में परिणत हुआ। इनमें से 13 उपशीषों में ₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिव्य/बचतें हुईं। इसके अतिरिक्त शीष 2415-01-004-02 (हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान) के अंतर्गत अनुदान संख्या 11-कृषि के तहत ₹ 9.14 करोड़ का व्ययाधिव्य हुआ जिसमें ₹ 16.34 करोड़ का पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(परिच्छेद 2.3.2)

बकाया पड़े विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता बिल

11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 31 मार्च 2015 तक सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से ₹ 47.78 करोड़ प्रत्याहृत किए। इसके सापेक्ष उनसे मार्च 2015 तक ₹ 45.95 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता बिल लम्बित थे।

(परिच्छेद 2.4)

व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य वित्तीय नियमावली के विपरीत 23 उपशीषों के सम्बंध में वर्ष 2014-15 हेतु कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक से समाविष्ट ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय मार्च 2015 मास में किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.3)

वित्तीय विवरण

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों व दिशा सूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

प्रयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

31 मार्च 2015 को ₹ 2,387.39 करोड़ के ऋण एवं अनुदानों के 15,539 प्रयुक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब था।

(परिच्छेद 3.1)

लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला के वर्ष 2013-14 के लेखे बारह मास तक विलम्बित थे जबकि अन्य निकायों के सम्बंध में यह विलम्ब आधे मास से तीन मास के मध्य था। सभी 13 निकायों के वर्ष 2014-15 के लेखे अगस्त 2015 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 3.2)

दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि के लम्बित मामले

राज्य सरकार ने ₹ 78.70 लाख के सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 47 मामले सूचित किए जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्रवाई अनिर्णीत थी। इनमें से 41 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

(परिच्छेद 3.4)

राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 1)

परिचय

इस प्रतिवेदन में कर के अवनिर्धारण, राज्य आबकारी का गैर/अल्प उद्ग्रहण, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का गैर/अल्प उद्ग्रहण, यात्री एवं माल कर का गैर/अल्प उद्ग्रहण तथा रॉयल्टी का गैर/अल्प उद्ग्रहण, आदि से सम्बंधित ₹ 157.38 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 30 परिच्छेद, मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा 'मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत निर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। सम्बंधित विभागों ने 789 मामलों में ₹ 291.79 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जो आरंभिक वर्षों में इंगित की गई थी, जिसमें से विगत वर्षों से सम्बंधित 536 मामलों में ₹ 13.30 करोड़ सहित 632 मामलों में ₹ 18.85 करोड़ की राशि और वर्ष 2014-15 के लिए 96 मामलों में ₹ 5.55 करोड़ की वसूली की गई थी।

राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्ति

सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹ 15711.08 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹ 17843.45 करोड़ थी। इसमें से 45 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 5940.16 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 2081.45 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 55 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों (₹ 2644.17 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹ 7177.67 करोड़) में राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया था। राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2132.37 करोड़ की वृद्धि थी।

(परिच्छेद 1.1)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आबकारी एवं कराधान विभाग

'मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मूल्य वर्धित कर के निर्धारण में लम्बन

निर्धारण हेतु बकाया मामले 2009-10 के 72,524 से बढ़कर 2013-14 के अंत में 1,38,168 (91 प्रतिशत की वृद्धि) हो गए। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मामलों के निपटान की प्रतिशतता निर्धारण हेतु बकाया मामलों के 20 से 25 प्रतिशत के मध्य था।

(परिच्छेद 2.3 तथा 2.3.6.4)

विवरणियों का विलम्बित प्रस्तुतीकरण/अप्रस्तुतीकरण

विवरणियों की पंजिकाओं/डाटाबेस का अनुरक्षण न करने के कारण डीलरों पर विवरणियों को विलम्ब से भरने/नहीं भरने हेतु ₹ 38.56 करोड़ की शास्ति आरोपित/वसूली नहीं की जा सकी थी।

(परिच्छेद 2.3.6.5)

मूल्य वर्धित कर नियमावली में माल नामावली के प्रावधान का न होना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमों में माल नामावली के उदघाटित किये जाने के प्रावधान के न होने से डीलरों द्वारा दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का व्यापार प्रकृति के साथ सह-सम्बंध तथा सत्यापन नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 2.3.8)

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित अनुमोदन

अंत स्टॉक पर आस्थगित कर देयता की गणना करने हेतु गलत पद्धति का प्रयोग करने से ₹ 1.60 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित अनुमोदन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.43 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(परिच्छेद 2.3.9.1)

कुल बिक्री का गलत निर्धारण

प्रमाणित प्राप्तियों/लेखों के साथ सकल प्राप्तियों/कुल बिक्री के गैर-मिलान के कारण ₹ 45.80 करोड़ की सकल कुल बिक्री अथवा कर योग्य कुल बिक्री के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 5.94 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 50.62 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(परिच्छेद 2.3.10)

कर की गलत दर लागू करना

बाईस मामलों में ₹ 183.31 करोड़ की बिक्री पर कर 12.50/13.75 प्रतिशत की सही दरों के स्थान पर चार/पांच प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 1.58 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(परिच्छेद 2.3.12)

लेनदेन लेखापरीक्षा

क. आबकारी एवं कराधान विभाग

(i) बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

अवैध, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अवैध, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्र 'सी' को स्वीकार करने तथा कर की छूट/रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप नौ मामलों में ₹ 18.18 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ जिस पर ₹ 20.19 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

कर की रियायती दर का गलत अनुमोदन

निर्धारण प्राधिकारियों ने विनिर्माण करने वाली एक इकाई जिस में लाभार्थी ने पूर्ण प्रपत्र-1 प्रस्तुत नहीं

किया था, को ₹ 36.72 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर दो प्रतिशत की लागू दरों के स्थान पर एक प्रतिशत की कर की रियायती दर दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.08 लाख के कर का अल्प निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.25 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.6)

इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति

अंत स्टॉक पर आस्थगित कर देयता की गणना करने के लिए गलत पद्धति का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप 58 मामलों में ₹ 1.59 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.51 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.8)

(ii) राज्य आबकारी

न्यूनतम गारंटीड कोटा के कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना

वर्ष 2013-14 के दौरान 725 बिक्री केन्द्रों द्वारा 16,17,994 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने के लिए अतिरिक्त देय फीस सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा मांगा नहीं गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.24 करोड़ की अतिरिक्त फीस की अल्प वसूली हुई, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद ₹ 50.28 लाख वसूल कर ली गई थी।

(परिच्छेद 3.3)

लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

वर्ष 2013-14 के दौरान 28 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से विभाग ₹ 17.25 करोड़ की लाइसेंस फीस की वसूली योग्य राशि में से केवल ₹ 12.83 करोड़ की लाइसेंस फीस की वसूली कर सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.42 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 46.81 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 3.4)

लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

विभाग द्वारा 130 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹ 64.53 करोड़ की लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ₹ 59.29 लाख के ब्याज की मांग नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक ब्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.7)

आसवनी/ बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की वसूली न करना

एक मद्यनिर्माणशाला, एक आसवनी तथा दो बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ की वर्ष 2013-14 के लिए वेतन के रूप में ₹ 33.63 लाख की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.8)

(iii) यात्री व माल कर

आबकारी विभाग के पास माल व यात्री वाहनों का पंजीकरण न करवाना

1,251 वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने अपने वाहनों को मोटर वाहन कर विभाग के पास पंजीकृत किए जाने के बाद संबंधित आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं किया। परिणामस्वरूप, संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय के अभाव में ₹ 89.07 लाख की राशि का यात्री व माल कर वसूल नहीं किया गया।

(परिच्छेद 5.10)

अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण एवं संग्रहण न करना

दो सीमेंट कम्पनियां, जिन्होंने सीमेंट व क्लीन्कर के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों तक चूना पत्थर तथा स्लेटी पत्थर का परिवहन किया, द्वारा ₹ 59.90 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का न तो भुगतान किया गया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, परिणामस्वरूप राजस्व का अपवंचन हुआ तथा उस सीमा तक की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.12)

ख. राजस्व विभाग

पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाना

189 मामलों में पटवारियों द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत तैयार करने तथा सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹ 80.87 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.3)

पट्टा विलेखों के गैर-निष्पादन/ नवीकरण के कारण पट्टा राशि की गैर/अल्प वसूली

पट्टा विलेखों को पट्टा अनुबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निष्पादित/नवीकृत नहीं किया गया तथा पट्टा राशि को भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार नियत/संशोधित नहीं किया

गया। इसके परिणामस्वरूप चार मामलों में ₹ 12.47 करोड़ की पट्टा राशि की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.4)

पट्टा राशि की अल्प वसूली

भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर पट्टा राशि को निर्धारित न करने के परिणामस्वरूप तीन मामलों में ₹ 4.24 करोड़ की पट्टा राशि की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.5)

ग. परिवहन विभाग

परिवहन विभाग के बकायों की गैर-वसूली

1971-72 से ₹ 98.35 करोड़ की बकाया राशि संग्रहण हेतु लंबित थी। भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु उपायुक्त को संदर्भित ₹ 72.81 लाख की राशि में से मात्र ₹ 20.42 लाख की वसूली की गई थी।

(परिच्छेद 5.3)

करों की गैर-वसूली

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए 22,527 वाहनों के संदर्भ में ₹ 17.73 करोड़ के सांकेतिक कर एवं प्रवेश कर की विभाग द्वारा न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 5.4)

विशेष पथ कर की गैर-वसूली

मार्च 2015 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि हेतु ₹ 20.47 करोड़ राशि का विशेष पथ कर जमा करवाया जाना था तथा 167 मामलों में ₹ 91.15 लाख की राशि निजी स्टेज कैरिजों से वसूली योग्य थी, जो कि न तो हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी स्टेज कैरिज के मालिकों द्वारा जमा करवाई जा रही थी और न ही विभाग द्वारा मांगी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.38 करोड़ के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.6)

घ. वन विभाग

विभागीय प्रभारों को जमा न करना

क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के अंतर्गत 18 मामलों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 1.30 करोड़ के विभागीय प्रभार वसूल किए गए तथा इन्हें सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा करने के स्थान पर क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण में जमा किया गया।

इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

(परिच्छेद 6.4)

**रॉयल्टी तथा ब्याज का अल्प
भुगतान/भुगतान न करना**

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 13.54 करोड़ की रॉयल्टी भुगतान योग्य थी, जिसमें से केवल ₹ 1.45 करोड़ का भुगतान समय पर किया गया और ₹ 4.82 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान विलम्ब से किया गया जिस पर ₹ 43.03 लाख का ब्याज प्रोद्भूत था। रॉयल्टी की शेष राशि ₹ 7.27 करोड़ की न तो वन मण्डल अधिकारियों द्वारा मांग की गई, न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.70 करोड़ के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.6)

**जब्त की गई इमारती लकड़ी का
निपटारा न करने के कारण
राजस्व का अवरोधन**

विभाग के विभिन्न डिपुओं में निपटान के लिए पड़ी 521.616 घन मीटर माप की इमारती लकड़ी के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप ₹ 29.88 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹ 247.16 लाख के राजस्व का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 6.7)

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-आर्थिक क्षेत्र (प्रतिवेदन संख्या 2) पर लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन**

इस प्रतिवेदन में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर एक सामान्य विहंगावलोकन, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित की एक निष्पादन लेखापरीक्षा और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के उच्च टेंशन/निम्न टेंशन बिलिंग सिस्टम की एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित 12 परिच्छेद (दो विषयगत परिच्छेदों सहित) भी सम्मिलित हैं।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे

हिमाचल प्रदेश राज्य में 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (17 कम्पनियां और दो सांविधिक निगम) और दो अक्रियाशील कम्पनियां थी जिनमें 34,675 कर्मचारी कार्यरत थे। 31 मार्च 2015 को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 9872.17 करोड़ था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश में 99.20 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में और शेष 0.80 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का मुख्यतः जोर ऊर्जा क्षेत्र में था जिसमें 2010-11 (₹ 4600.27 करोड़) से 2014-15 (₹ 8571.20 करोड़) के दौरान कुल निवेश के प्रति 80.18 प्रतिशत से 86.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल निवेश में पूंजीगत ऋण 33.47 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋण 66.53 प्रतिशत थे। बजटीय निकास जो 2010-11 में ₹ 685.40 करोड़ था, 2012-13 में ₹ 1018.60 करोड़ तक बढ़ गया, किन्तु 2013-14 में ₹ 728.81 करोड़ तक घट गया और 2014-15 में पुनः ₹ 1189.98 करोड़ तक बढ़ गया।

(परिच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 तथा 1.8)

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

सितंबर 2015 तक 18 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 26 लेखा बकाया थे। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं तदन्तर उनकी लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किया गया निवेश तथा व्यय की गणना उचित ढंग से की गयी है और जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया था उसे प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं और इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधान मंडल की समीक्षा से बाहर रहता था।

(परिच्छेद 1.10 तथा 1.11)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार निष्पादन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित के सम्बंध में कम कारोबार के कारण क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल कारोबार 2010-11 में ₹ 4969.59 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 4945.29 करोड़ हो गया और पुनः 2013-14 में ₹ 5952.79 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 6536.34 करोड़ हो गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 13.97 करोड़ का लाभ हुआ और 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 469.97 करोड़ की हानि हुई, जिनमें दो तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं जिन्होंने अपने लेखों को 'ना लाभ ना हानि आधार' पर तैयार किया था। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ने अपने लाभ एवं हानि लेखा तैयार नहीं किए हैं, जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित के सम्बंध में आय से अधिक व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य है। लाभ अर्जित करने वाले सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से मात्र एक कम्पनी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ने 2013-14 के दौरान अपनी प्रदत्त पूंजी (₹ 3.51 करोड़) के 10 प्रतिशत की दर से ₹ 0.35 करोड़ का लाभांश घोषित / भुगतान किया।

(परिच्छेद 1.15, 1.16 तथा 1.18)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था, तथापि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड को ₹ 550.00 करोड़ की इक्विटी विनिवेशित की थी।

(परिच्छेद 1.28)

सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के उच्च टेंशन/निम्न टेंशन बिलिंग पद्धति की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा की गयी थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया था (मार्च 1974)। कम्पनी लकड़ी/बिरोजा निकालने, बिरोजा एवं तारपीन कारखानों को चलाने के अतिरिक्त बिरोजे से तैयार उत्पाद तथा लकड़ी आधारित उद्योग को चलाने तथा लकड़ी बेचने के साथ-साथ ईको पर्यटन में भी उतरी है।

(परिच्छेद 2.1.1)

मार्च 2015 तक समाप्त विगत चार वर्षों से कम्पनी लगातार घाटे में चल रही है तथा इसका समेकित घाटा वर्ष 2010-11 में ₹ 31.66 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 52.75 करोड़ हो गया है।

वृक्षों का गिरान तथा रूपान्तरण

(परिच्छेद 2.1.7.1 तथा 2.1.7.2)

दिशानिर्देशों के उल्लंघन में दुर्गम क्षेत्रों में अलाभकारी लॉट्स को लेने से रॉयल्टी पर ब्याज, विस्तार फीस तथा गले-सड़े वृक्षों पर दी गई रॉयल्टी इत्यादि के रूप में ₹ 1.52 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(परिच्छेद 2.1.10.2)

लकड़ी की निकासी के कार्य को निर्धारित अवधि के बाद चार से आठ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी पूर्ण न कर पाने के कारण ठेकेदारों से बढ़ोतरी शुल्क की वसूली न होने तथा दी गई रॉयल्टी पर ब्याज की हानि के कारण ₹ 1.28 करोड़ की हानि के साथ पिछले कई वर्षों से वनों में पड़ी निकासित लकड़ी की गुणवत्ता में गिरावट आई।

रॉयल्टी की अदायगी

(परिच्छेद 2.1.10.3)

2010-15 की अवधि के दौरान निर्धारित तिथियों में रॉयल्टी की किस्तों की अदायगी न कर पाने के कारण कम्पनी द्वारा वन विभाग को ब्याज के रूप में ₹ 6.85 करोड़ की अदायगी करनी पड़ी।

लकड़ी की बिक्री

(परिच्छेद 2.1.12.1)

2010-15 के दौरान बाजार दरों की तुलना में लकड़ी की नीलामी की दरों में 60 से 105 प्रतिशत का अन्तर यह इंगित करता है कि कम्पनी नीलामी में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं कर रही है तथा बोलीदाता सीमित प्रतिस्पर्धा या उत्पादक संघ के गठन के कारण अत्यधिक मार्जिन प्राप्त कर रहे हैं। यदि बिक्री दरों को व्यापक प्रचार के माध्यम से वसूल करने के प्रयास किए जाते तो बिक्री के खर्चों तथा लाभ को पूरा

करने के लिए 50 प्रतिशत मार्जिन अनुमत करने के पश्चात् केवल देवदार की बिक्री से ही (जोकि कुल आयतन का 8.62 प्रतिशत है) कम्पनी को लगभग ₹ 18.00 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त होती।

बिक्री डिपुओं पर लकड़ी की ग्रेडिंग

(परिच्छेद 2.1.13.1)
लकड़ी की ग्रेडिंग बिक्री डिपुओं पर की जा रही थी। केवल 0.5 प्रतिशत को ही 'ए' ग्रेड में रखा गया। वर्गीकरण की प्रक्रिया में कोई भी जांच नहीं की जा रही थी तथा लकड़ी के 25 प्रतिशत वर्गीकरण को गलत मानने से ही ₹ 71.64 करोड़ की संभावित राजस्व हानि बनती है।

जनजातीय क्षेत्रों को ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति

(परिच्छेद 2.1.13.2)
लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के बावजूद वन विभाग को देय रॉयल्टी में से ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा देय ₹ 12.01 करोड़ के समायोजन न कर पाने के कारण ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बिरोजे की निकासी

(परिच्छेद 2.1.14.1)
मार्च 2015 को समाप्त विगत पांच वर्षों में 2.78 लाख क्विंटल के लक्ष्य के प्रति बिरोजे की वास्तविक निकासी 2.55 लाख क्विंटल थी जिसके परिणामस्वरूप 0.23 लाख क्विंटल की कमी (6.77 प्रतिशत से 9.60 प्रतिशत के बीच) हुई जिसका मूल्य ₹ 11.99 करोड़ था।

मध्यस्थता के मामलों का निपटान

(परिच्छेद 2.1.15)
कम्पनी के अधिकारियों जो इन मामलों में मध्यस्थ थे, द्वारा लम्बित पड़े 77 मामलों को समयबद्ध तरीके से न निपटाए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 4.82 करोड़ की निधियां अवरूद्ध रही जिनमें सितम्बर 2006 से प्रबन्ध निदेशक के समक्ष ₹ 1.18 करोड़ की वसूली का एक विलम्बित मामला शामिल है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के उच्च टेंशन/निम्न टेंशन बिलिंग सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

क्रियान्वयन तथा विक्रेता से शास्ति की वसूली में विलम्ब

(परिच्छेद 2.1.18.1)
सूचना प्रौद्योगिकी पैकेज जो टर्न की आधार पर 90 प्रतिशत अनुदान सहित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया था (मई 2006), अप्रैल 2008 तक पूर्ण किया जाना था, तथापि यह अभी तक कार्यान्वयन अधीन था (मार्च 2015)। इस बीच त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार

कार्यक्रम को मार्च 2009 में बंद कर दिया गया और बंद किए जाने से पूर्व कम्पनी मात्र ₹ 3.22 करोड़ का व्यय कर सकी तथा भारत सरकार से ₹ 4.71 करोड़ राशि का अनुदान प्राप्त करने से वंचित रही। इसके अतिरिक्त पूर्णता में विलम्ब हेतु फर्म ₹ 1.32 करोड़ के परिसमापन नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन कम्पनी ने मात्र ₹ 0.55 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.77 करोड़ की अल्प-वसूली हुई।

(परिच्छेद 2.2.5 (i) एवं 2.2.5 (iv))

मास्टर डाटा एंट्री पर
अपर्याप्त नियंत्रण

बिलिंग सॉफ्टवेयर में उपभोक्ताओं का मास्टर डाटा गलत भरा गया था जिसके परिणामस्वरूप 45 मामलों में ₹ 40.63 लाख की उच्च-वोल्टेज आपूर्ति छूट की अस्वीकार्य अनुमति हुई।

(परिच्छेद 2.2.5 (iii))

व्यापार नियमावली बनाने में
कमियां

व्यापार नियमावली बनाने में कमियों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से विभिन्न ऊर्जा प्रभारों की गैर-वसूली, अल्प-वसूली तथा गलत निर्धारण के कारण ₹ 5.26 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 2.2.6 (i), 2.2.6 (iii) एवं 2.2.6 (iv))

क्रियान्वयन में विलम्ब के
परिणाम

समस्त विद्युत उप-मंडलों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप मानवीय प्रक्रिया के माध्यम से न पकड़े जाने/ गणना में त्रुटियों के कारण उपभोक्ताओं से विलम्ब भुगतान अधिभार, कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार तथा मांग प्रभारों की गैर-वसूली/अल्प वसूली के कारण ₹ 2.48 करोड़ की राजस्व हानि भी हुई।

(परिच्छेद 2.2.10 (ii) (क से ग))

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कम्पनियों जिनके गम्भीर वित्तीय निहितार्थ थे, के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती हैं। प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार निम्नवत् दिया गया है:

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत
बोर्ड सीमित में सामग्री
प्रबंधन तथा वस्तुसूची
नियंत्रण

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा अन्य कार्यों के लिए क्रय के आदेश देने से पहले तैयार शुदा आधार पर आवंटित किए गए पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले मीटरों की संख्या निश्चित करने में विफल रहने के कारण न केवल उधार ली गई ₹ 3.39 करोड़ की निधियां अवरूद्ध

रही अपितु ₹ 50.85 लाख के ब्याज की हानि भी हुई। इसके अतिरिक्त इस्पात के नलाकार खम्बों की पूरी अपेक्षित/ उचित संख्याओं के लिए आदेश न दिए जाने पर ऊंची दरों पर की गई अनुवर्ती खरीद के कारण ₹ 0.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। ₹ 5.84 करोड़ मूल्य के अधिशेष तथा अप्रयोज्य स्टोर सम्बन्धित सर्कलों में अनुपयोगी घोषितकर्ता समिति गठित न होने के कारण अन्तिम निपटारे हेतु लम्बित थे।

(परिच्छेद 3.3)

कर्मचारी हितकारी निधि के प्रति अविवेकपूर्ण अंशदान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा अपने कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु समय समय पर कर्मचारी हितकारी निधि के प्रति ₹ 7.33 करोड़ के अनुदान के समरूप अंशदान दिया गया यद्यपि कर्मचारी हितकारी निधि नियमों में इसके लिए प्रावधान नहीं था।

(परिच्छेद 3.4)

आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने क्रय आदेश के नियम एवं शर्तानुसार उसके चालू बिल से ₹ 1.22 करोड़ की कटौती में से ₹ 0.97 करोड़ के परिसमापन हर्जाने को माफ करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया और डीजल उत्पादित विद्युत की आपूर्ति हेतु ₹ 4.26 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा उठाया।

(परिच्छेद 3.5)

शेल्वेड परियोजना पर निष्फल व्यय

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा थर्मल पावर प्लांट में निष्पादन हेतु तकनीकी क्षमता से रहित एक संयुक्त उपक्रम सहयोगी के चयन के साथ बिना किसी संभाव्यता अध्ययन के निवेश और कम्पनी के समझौते ज्ञापन की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ का निवेश व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 3)

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। प्रतिवेदन का अध्याय-1 लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया, आदि को आवृत्त करता है। अन्य दो अध्याय कृषि इन्सुट्स के उपार्जन एवं वितरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों और अधिक/निष्फल/निरर्थक व्यय, संविदाकारों को अनुचित लाभ, निधियों के अवरोधन/अपवर्तन, आदि से सम्बंधित ₹ 2043.22 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 28 परिच्छेदों से सम्बंधित हैं। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

कृषि विभाग

कृषि इन्सुट्स का उपार्जन एवं वितरण

हिमाचल प्रदेश मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि कुल जनसंख्या के लगभग 69 प्रतिशत को सीधा रोजगार उपलब्ध करवाती है। राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इन्सुट्स अर्थात् बीजों, उर्वरकों, पौधा सुरक्षा सामग्रियों, औजारों आदि की आपूर्ति के रूप में किसानों को लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध करवाना कृषि विभाग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

कृषि इन्सुट्स के उपार्जन एवं वितरण की निष्पादन लेखापरीक्षा कृषि इन्सुट्स के उपार्जन एवं वितरण के लिए प्रक्रिया एवं योजना की पर्याप्तता, आवंटित निधियों की पर्याप्तता, निधियों की प्रयुक्ति में दक्षता, कृषि इन्सुट्स के उपार्जन में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता और कृषि विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की दक्षता का आकलन करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नकद बही में प्राप्तियों की अलेखाबद्धता और सरकारी खाते में इन्सुट्स की बिक्री लब्धि को जमा न करवाना

2010-15 के दौरान, नमूना जांच किए गए जिलों ने कोषागार के साथ ₹ 264.29 करोड़ की प्राप्तियों का मिलान नहीं किया था और सम्पूर्ण राज्य में किसानों से वसूल किए गए ₹ 3.68 करोड़ के इन्सुट्स की बिक्री लब्धि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी।

(परिच्छेद 2.1.3.3 तथा 2.1.3.4 (i) एवं (iii) से (v))

बीजों के वितरण में विलम्ब

नमूना जांच किये गए जिलों में, 2010-15 के दौरान किसानों को बुआई मौसमों के बाद ₹ 9.39 करोड़ मूल्य के 33011.10 क्विंटल बीज (गेहूं: 28909.63 क्विंटल तथा मक्का: 4101.47 क्विंटल) वितरित किए गए थे।

(परिच्छेद 2.1.4.3)

उर्वरकों की मांग का
निर्धारण, आवंटन, उपार्जन
एवं बिक्री

2010-15 के दौरान 6.38 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आवश्यकता के प्रति उपार्जक अभिकरणों ने किसानों को 5.38 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आपूर्ति की थी, परिणामतः एक लाख मीट्रिक टन की कमी हुई।

(परिच्छेद 2.1.5.1)

आलू बीज का अनियमित
उपार्जन

कृषि विभाग ने 2010-15 के दौरान प्रतियोगी नीलामी प्रक्रिया, का अनुसरण किए बिना ₹ 7.88 करोड़ मूल्य के आलू के 30623.50 क्विंटल बीजों का उपार्जन किया था।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

नमूनों के संग्रह एवं
विश्लेषण के लिए लक्ष्य
एवं उपलब्धियां

2010-15 के दौरान कृषि इन्सुट्स के 18,400 नमूनों की जांच के लक्ष्य के प्रति जांच प्रयोगशालाओं ने 11,998 नमूनों की जांच की थी, परिणामतः 6,402 नमूनों (35 प्रतिशत) की कमी हुई।

(परिच्छेद 2.1.7.2)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नियंत्रण पंजिकाएं तथा अपेक्षित, उपार्जित एवं वितरित इन्सुट्स के पूर्ण डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.1.8.2 तथा 2.1.9.1 से 2.1.9.4)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 को आरम्भ किया गया था तथा इसी तिथि से हिमाचल प्रदेश में परिचालित किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2005-15 के दौरान एकीकृत व्यापक प्रारम्भिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बनाना; जनसंख्या स्थायीकरण कायम रखना; लिंग तथा जन सांख्यिकीय असंतुलन को नियंत्रित करना; शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना तथा स्थानीय रोगों सहित संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण करना था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की निष्पादन लेखापरीक्षा ग्राम, खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर मिशन की योजना प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं दक्षता, निधियों की अवमुक्ति एवं प्रयुक्ति में दक्षता, क्षमता संवर्धन की पर्याप्तता तथा विभिन्न स्तरों पर भौतिक अवसंरचना एवं मानव संसाधन के सुदृढ़ीकरण, मिशन के अंतर्गत निश्चित किये गये निष्पादन सूचकों एवं लक्ष्यों की समयबद्ध उपलब्धि और अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

गृह सर्वेक्षण तथा सापेक्ष
एवं वार्षिक कार्य योजना
को तैयार करना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना को 2010-15 के दौरान जिलों, खण्डों एवं गांवों की आवश्यकताओं को बिना ध्यान में रखे तैयार किया गया था। स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकता की पहचान

अपर्याप्त थी क्योंकि राज्य में मार्च 2015 तक गृह सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.2.2.1 एवं 2.2.2.2)

वित्तीय प्रबंधन

कुल उपलब्ध निधियों में से 2010-15 के दौरान 19 से 47 प्रतिशत निधियां मिशन निदेशक के पास अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

(परिच्छेद 2.2.4)

मानव संसाधन

भारतीय जन स्वास्थ्य मानकानुसार 3390 डॉक्टरों की तैनाती के प्रति राज्य में 1213 डॉक्टरों के पद संस्वीकृत किए गए तथा मार्च 2015 तक 1059 (31 प्रतिशत) डॉक्टर कार्यरत थे। इसी तरह, राज्य में स्वास्थ्य उप-केन्द्रों हेतु अपेक्षित 6195 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रति केवल 3032 (49 प्रतिशत) स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत थे।

(परिच्छेद 2.2.6.1)

निवार्य रोगों के प्रतिरक्षण तथा शीत चेन प्रबंधन

2010-15 के दौरान बी0सी0जी0, खसरा, डी0पी0टी0, हेपेटाइटिस बी तथा टी0टी0 हेतु बच्चों के प्राथमिक तथा उत्तरवर्ती प्रतिरक्षण के लक्ष्य की उपलब्धि प्रतिशतता क्रमशः 42 एवं 114 तथा 66 एवं 95 के मध्य थी। 166 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (500 में से) में कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

(परिच्छेद 2.2.7.6 एवं 2.2.7.8)

चल चिकित्सा इकाई सेवाओं तथा टेलीमेडिसीन परियोजना का क्रियान्वयन

चल चिकित्सा इकाइयों को परिचालित नहीं किया गया था तथा इस प्रयोजन हेतु मई 2014 में उपार्जित 10 वाहन मई 2015 तक बेकार पड़े थे। राज्य में 19 स्थानों पर टेलीमेडिसीन परियोजना 2009 से निष्क्रिय पड़ी थी।

(परिच्छेद 2.2.7.13 एवं 2.2.7.14)

व्यापक कॉल सेंटर की स्थापना तथा अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र

अनुश्रवण कमजोर था, जच्चा बच्चा का पता लगाने की प्रणाली हेतु विस्तृत कॉल सेंटर, किशोर स्वास्थ्य सलाह तथा समर्पित हैल्पलाईन को पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद स्थापित नहीं किया गया।

(परिच्छेद 2.2.7.15 एवं 2.2.12)

उच्च शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

भारत सरकार ने कक्षा IX-XII में नामांकन में वृद्धि, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार तथा लिंग, सामाजिक-आर्थिक एवं विकलांग गतिरोधों को दूर करने के उद्देश्य से मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को आरम्भ किया। स्कीम पहुंच में सुधार, औचित्य एवं गुणवत्ता की त्रिआयामी रणनीति पर आधारित है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की निधियन व्यवस्था केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के क्रियान्वयन हेतु योजना की दक्षता, कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधियों की आवश्यकता को अभिनिश्चित करने में पर्याप्तता, माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक अंतरालों को चिह्नित करने एवं भरने, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार और अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र में पर्याप्तता के आकलन के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला/विद्यालय स्तरीय योजनाओं को तैयार करना 2013-15 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना को पाठशाला स्तर की विकासात्मक योजना पर विचार किए बिना तैयार किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.2.1)

वित्तीय निष्पादन विभाग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 348.47 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर केवल ₹ 218.67 करोड़ ही खर्च कर सका एवं मार्च 2015 तक ₹ 129.80 करोड़ (37 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे।

(परिच्छेद 2.3.3)

आदर्श पाठशालाओं का निर्माण पांच आदर्श पाठशालाओं के निर्माणार्थ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मार्च 2010 में प्रदान किए गए ₹ 7.23 करोड़ में से ₹ 4.70 करोड़ बाधामुक्त जमीन उपलब्ध न करवाने (चार) तथा कार्य की धीमी गति (एक) के कारण निष्पादन अभिकरण के पास अप्रयुक्त रहे।

(परिच्छेद 2.3.4.6)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना-II का क्रियान्वयन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना चरण-II के क्रियान्वयन में विलम्ब समय पर निविदाओं को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप राजकीय पाठशालाओं के विद्यार्थियों को परियोजना के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण पाठशालाओं में अध्यापन एवं अध्यापन सहायता स्टाफ के संवर्ग में कमी थी। पाठशालाओं में उक्त स्टाफ की कमी प्रतिशतता मार्च 2015 तक 14 एवं 39 के बीच थी। अन्य/शिक्षणेतर कर्मियों की संस्वीकृत संख्या शिक्षण कर्मियों की संख्या का 80 प्रतिशत थी, जो बहुत अधिक थी।

(परिच्छेद 2.3.8)

परिणामों का मूल्यांकन परीक्षा परिणाम बहुत खराब थे क्योंकि 2011-15 के दौरान दो से 16 के मध्य पाठशालाओं का कक्षा X का परिणाम

शून्य प्रतिशत था तथा 134 से 232 के मध्य पाठशालाओं का परिणाम 25 प्रतिशत से कम था। इसी प्रकार, 2014-15 के दौरान कक्षा XII के लिए 10 पाठशालाओं का परिणाम शून्य तथा 48 पाठशालाओं का परिणाम 25 प्रतिशत से कम था।

(परिच्छेद 2.3.9)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

मार्च 2015 तक विभाग द्वारा स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध स्थापित नहीं किये गये थे।

(परिच्छेद 2.3.10)

लोक निर्माण विभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वमौसमी में सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की (दिसम्बर 2000)। कार्यक्रम का उद्देश्य 1,000 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या के सभी सम्पर्क विहीन ग्रामीण निवास-स्थानों को 2003 तक तथा 500 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले निवास-स्थानों को 2007 के अंत तक आवृत्त करना था। तथापि, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के कारण 250 व्यक्तियों तथा उससे ऊपर की जनसंख्या के निवास-स्थानों को सड़क से जोड़ने का लक्षित उद्देश्य था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा इसका आकलन करने के उद्देश्य के साथ की गई थी कि क्या योजना प्रक्रिया स्कीम के उद्देश्यों के अनुरूप थी, कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाईं एवं प्रयुक्त की गई थी, संविदा प्रबंधन पात्र निवास-स्थानों को सर्वमौसमी सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित समयावधि के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन एवं पूर्णता को सुनिश्चित करता था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों का निष्पादन मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी था और गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी थे।

महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मास्टर योजना को तैयार करना

लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी पात्र निवास-स्थानों को सर्वमौसमी सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने हेतु स्पष्ट लक्ष्यों तथा समय सीमाओं सहित दीर्घावधि मास्टर योजना तैयार नहीं की गई थी तथा राज्य में मार्च 2015 तक कार्यक्रम के अंतर्गत 1,093 पात्र निवास-स्थान सम्पर्क विहीन रहे थे।

(परिच्छेद 2.4.2.1 (i))

सड़कों के संरक्षण के लिए ट्रांसेक्ट वॉक

सड़क संरक्षण हेतु 'ट्रांसेक्ट वॉक' प्रक्रिया का अनुसरण न करने के कारण 2001-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 172.71 करोड़ में अनुमोदित 117 सड़कों के विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदनों को निजी/वन भूमि की संलिप्तता के कारण हटाना पड़ा था (जनवरी 2012 तथा सितम्बर 2013 के मध्य)।

(परिच्छेद 2.4.2.6 (i))

कार्यक्रम निधि की
उपलब्धता तथा प्रयुक्ति

2010-14 के दौरान उपलब्धता के प्रति ₹ 99.78 करोड़ तथा ₹ 314.44 करोड़ के मध्य कार्यक्रम निधियां अप्रयुक्त रही जो वित्तीय नियंत्रण का अभाव दर्शाती थी।

(परिच्छेद 2.4.3.1 (i))

कार्य के आवंटन में विलम्ब

बीस नमूना जांच किए गए मण्डलों में भारत सरकार द्वारा ₹ 358.28 करोड़ में संस्वीकृत 252 कार्य (जनवरी 2002 तथा जुलाई 2014 के मध्य) 2012-15 के दौरान ठेकेदारों को आवंटित किए गए थे जिनमें 81 तथा 2640 दिनों के मध्य विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप आगे कार्यों के निष्पादन में भी विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.4.4.1)

नमूना जांच किए गए मण्डलों
में कार्यों का निष्पादन

सभी नमूना जांच किए गए मण्डलों में 2010-15 के दौरान पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित 275 कार्यों में से 200 कार्य पूर्ण किए गए थे तथा 75 कार्य, जिन पर ₹ 54.69 करोड़ का व्यय किया गया था, 48 महीनों से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

(परिच्छेद 2.4.5.1 (ii))

कार्यों का निरीक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नमूना जांच किए गए मण्डलों के अधिशासी अभियंताओं ने 2010-15 के दौरान राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षकों (441) तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों (44) द्वारा असंतोषजनक प्रतिवेदित 485 कार्यों में सुधार के लिए कार्रवाई नहीं की थी।

(परिच्छेद 2.4.8.3 (ii) तथा (iii))

अनुपालना लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

हिमाचल प्रदेश सहकारी
दुग्ध उत्पादक फेडरेशन
(मिल्कफेड) सीमित की
कार्य प्रणाली

2012-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 16.03 करोड़ के अनुदान में से मिल्कफेड द्वारा ₹ 11.54 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 4.49 करोड़ मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़े रहे थे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित के साथ जनवरी 2004 से ₹ 5.00 करोड़ की नकद साख सीमा समायोजित न किये जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2015 तक ₹ 22.72 करोड़

(मूलधन: ₹ 2.69 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 20.03 करोड़) की दायिता शेष थी। 2012-15 के दौरान लक्ष्य के प्रति दुग्ध उपार्जन में कमी नौ एवं 18 प्रतिशत तथा बिक्री में कमी 10 एवं 44 प्रतिशत के मध्य थी। मिल्कफेड ने दुग्ध उत्पादों को बनाने के लिये दूध के उपयोग हेतु उत्पाद-वार मानक निर्धारित नहीं किया था। नौ दुग्ध शीतलन केंद्रों और तीन दुग्ध विधायन संयंत्रों की क्षमता प्रयुक्ति तीन एवं 48 प्रतिशत के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.1)

शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा
पोषण सहायक कार्यक्रम
(मध्याह्न भोजन स्कीम)

2012-15 के दौरान प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा 1248 मामलों में ₹ 42.61 लाख की खाना पकाने की लागत हेतु निधियां 20 तथा 175 दिनों के मध्य के विलम्ब सहित स्कूलों को जारी की गई थी। स्कीम निधियों पर अर्जित किये गये ₹ 33.31 लाख के ब्याज की सूचना स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र को नहीं दी गई थी। 2007-12 के दौरान ₹ 3.13 करोड़ के लिए संस्वीकृत 507 रसोई घर-सह-भण्डारों का निर्माण कार्य ₹ 2.03 करोड़ का व्यय करने के बाद मार्च 2015 तक अपूर्ण था तथा ₹ 3.46 करोड़ की लागत वाले 430 रसोई घरों का निर्माण कार्य अप्रैल 2015 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम, 2013 के
कार्यान्वयन के लिए तैयारी

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नये सिरे से लाभार्थियों की पहचान नहीं की थी तथा राज्य में 5.76 लाख लाभार्थियों की पहचान किये जाने में कमी थी जिसके कारण राज्य विद्यमान दरों पर 5.08 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त कर रहा था। कागज के राशन कार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्डों तथा घर की सबसे उम्रदराज औरत के नाम से बने राशन (स्मार्ट) कार्डों को भी जारी नहीं किया गया था। अप्रैल 2015 तक लक्षित जन वितरण प्रणाली के शुरू से लेकर अंत तक का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा ₹ 6.74 करोड़ की अप्रयुक्त निधियां बैंक बचत खाते में पड़ी रही थी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों की दुलाई के लिए वाहन ट्रेकिंग प्रणाली का प्रयोग नहीं

किया जा रहा था तथा अप्रैल 2015 तक उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया था। खण्ड स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया था तथा उचित मूल्य की दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन में छः तथा 100 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

(परिच्छेद 3.4)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंदिर न्यास को अनुचित लाभ पहुंचाना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्वालामुखी के भवन को श्री ज्वालामुखी मंदिर न्यास के भवन से बदलने के निर्णय से न्यास को ₹ 6.27 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(परिच्छेद 3.6)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

प्रवाह सिंचाई स्कीमों की कार्यप्रणाली

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के नमूना जांच किए गए छः मण्डलों में 2010-15 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंत में कोषागार से ₹ 18.27 करोड़ आहरित किए गये तथा उनको वास्तविक प्रयुक्ति के बिना प्रवाह सिंचाई स्कीमों के प्रति अन्तिम व्यय/सामग्री की बुकिंग के रूप में दर्शाया गया। नौ मण्डलों में 46 प्रवाह सिंचाई स्कीमें (91 में से) जिन पर ₹ 42.25 करोड़ खर्च किए गए थे, मार्च 2015 तक अपूर्ण पड़ी थी। पांच नमूना जांच किए गए मण्डलों में 2012-15 के दौरान ₹ 20.02 करोड़ की लागत से 21 प्रवाह सिंचाई स्कीमों में सृजित सिंचाई क्षमता का अनुकूलतम रूप से उपयोग नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों ने 2012-15 के दौरान प्रवाह सिंचाई स्कीमों के निष्पादन का अनुश्रवण नहीं किया तथा प्रवाह सिंचाई स्कीमों का निर्धारित निरीक्षण भी नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.7)

जलापूर्ति स्कीमों के संवर्धन पर निरर्थक निवेश तथा ब्याज की हानि

जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन हेतु समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजना का अभाव तथा विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 53.57 करोड़ का निरर्थक निवेश तथा ₹ 3.31 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.10)

मल-निकास स्कीम के निष्पादन पर निष्फल व्यय

मल-निकास स्कीम को समय पर पूर्ण करने में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजना के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 6.80 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग

निधियों का कुप्रबन्धन

राज्य में नर्सिंग सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए राज्य नर्सिंग काउंसिल द्वारा प्राप्त अनुदान की प्रयुक्ति हेतु उचित योजना के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ की उपलब्ध निधियों का कुप्रबन्धन हुआ।

(परिच्छेद 3.12)

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 2,473 मेगा वाट जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य के प्रति मार्च 2015 तक प्रारम्भ की गई 97 लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उपलब्धि मात्र 476 मेगा वाट (19 प्रतिशत) रही। ऊर्जा विभाग द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु चार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से ₹ 7.80 करोड़ अप्रकंट प्रीमियम की वसूली नहीं की गई थी तथा पर्यावरण प्रबंध योजना आदि के लिए छः लघु जल विद्युत परियोजनाओं से ₹ 7.12 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि वसूल नहीं की गई थी। वर्ष 2014-15 के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से ₹ 27.17 करोड़ बतौर मुफ्त विद्युत रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की गई थी। 33,000 मेगा वाट प्राक्कलित सौर ऊर्जा क्षमता के प्रति राज्य में मार्च 2015 तक मात्र 3.29 मेगा वाट का प्रतिष्ठापन किया गया था।

(परिच्छेद 3.13)

क्षमता संवर्धन प्रभारों की वसूली न होना एवं विद्युत परिवर्धक को अनुचित लाभ

जल विद्युत परियोजना के क्षमता संवर्धन का समय पर पता लगाने में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग की विफलता एवं क्षमता संवर्धन प्रभार, अतिरिक्त मुफ्त विद्युत रॉयल्टी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के आधार पर ₹ 209.28 करोड़ के अनुद्ग्रहण से विद्युत परिवर्धक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(परिच्छेद 3.14)

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग

कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियोक्ता का अंशदान सीमित करने में विफलता के कारण ₹ 2.66 करोड़ का अधिक अंशदान हुआ।

(परिच्छेद 3.15)

पंचायती राज विभाग

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पंचायती राज विभाग ने पिछड़े जिलों में अवसंरचना की कमी के अन्तराल को चिह्नित करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया था। 2012-15 के दौरान ₹ 40.75 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से जिला परिषद् सिरमौर ने ₹ 38.94 करोड़ ही उपयोग किया तथा ₹ 1.81 करोड़ की निधि मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। भारत सरकार को 2281 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 20.91 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उनकी वास्तविक प्रयुक्ति सुनिश्चित किए बिना ही प्रेषित किए गए। कार्यों को उनकी प्राथमिकता सूची के अनुसार नहीं लिया गया तथा जिला सिरमौर में 2012-15 के दौरान ₹ 37.41 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 22.72 करोड़ (61 प्रतिशत) निम्न प्राथमिकता वाले कार्यों पर व्यय किए गए। राज्य सरकार द्वारा मई 2015 तक कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता अनुश्रवण तंत्र स्थापित नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.16)

योजना विभाग

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम का क्रियान्वयन एवं प्रशासन

नोडल जिलों के उपायुक्तों द्वारा 2012-15 के दौरान क्रियान्वयन अभिकरणों को जारी ₹ 57.12 करोड़ के प्रति वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं था। 24 निर्माण कार्यों पर ₹ 54.00 लाख व्यय किए गए थे जो स्कीम के कार्यक्षेत्र से बाहर थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के निवास वाले क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास हेतु व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित ₹ 12.39 करोड़ के प्रति नोडल जिलों के उपायुक्तों द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान केवल ₹ 5.44 करोड़ (44 प्रतिशत) जारी किए गए थे।

2012-14 के दौरान संस्वीकृत 3710 निर्माण कार्यों में से 3359 निर्माण कार्य (₹ 52.21 करोड़ के लिए अनुमोदित) का निष्पादन प्रगति पर था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निधियों का अवरोधन होने के अतिरिक्त लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिला।

(परिच्छेद 3.17)

लोक निर्माण विभाग

सड़क के निर्माण पर
निष्फल व्यय

रेलमार्ग के ऊपर पुल का निर्माण करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के कारण सड़क के निर्माण पर ₹ 2.83 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.19)

फर्म को अनुचित वित्तीय
लाभ तथा निधियों का
सन्देहास्पद दुर्विनियोजन

संविदात्मक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए फर्म के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 2.58 करोड़ की लागत वृद्धि के अतिरिक्त फर्म को ₹ 2.64 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ तथा ₹ 35.97 लाख का संदेहास्पद दुर्विनियोजन हुआ।

(परिच्छेद 3.25)

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग

सामाजिक सुरक्षा पेंशन
स्कीमों का कार्यान्वयन

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग द्वारा पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए समय सारणी निर्धारित नहीं की गई थी जिसके कारण पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में 2012-15 के दौरान 12 तथा 60 महीनों से भी अधिक के मध्य का विलम्ब हुआ। मृत्यु, लोगों के पेंशन के लिये पात्र नहीं रहने तथा पेंशन का अन्य स्कीमों से संस्वीकृति प्रतिवेदित करने हेतु तंत्र विद्यमान नहीं था। नमूना जांच किये गये जिलों में पेंशन संवितरण में विलम्ब, अपेक्षित प्रमाण पत्रों के प्राप्त न किये जाने, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन की संस्वीकृति एवं संवितरण तथा संवितरित पेंशन के सत्यापित न किये जाने के उदाहरण थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 80 वर्ष से अधिक आयु के नए बनाए गए संवर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत नहीं की गई थी। ऊना जिले में बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा पेंशन संवितरण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था। मण्डी जिले में पेंशन कार्यान्वयन हेतु ई-कल्याण प्रणाली वेब-आधारित नहीं थी।

(परिच्छेद 3.27)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला डाटा

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग-क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	12,711	14,543	15,598	15,711	17,843
(i) कर राजस्व	3,643(29)	4,108 (28)	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940(33)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,695(13)	1,915 (13)	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081(12)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	1,715(13)	1,999 (14)	2,282(14)	2,491 (16)	2,644(15)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5,658(45)	6,521 (45)	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178(40)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	646	--	--	--	650
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	73	25	21	17	41
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	13,430	14,568	15,619	15,728	18,534
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,411	1,984	3,371	4,050	10,877
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	15,841	16,552	18,990	19,778	29,411
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	8,507	9,237	9,146	10,300	10,575
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	24,348	25,789	28,136	30,078	39,986
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	13,946	13,898	16,174	17,352	19,787
11. पूंजीगत व्यय	1,789	1,810	1,955	1,856	2,473
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	227	493	469	531	474
13. योग (10+11+12)	15,962	16,201	18,598	19,739	22,734
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	870	1,128	2,117	1,704	8,260
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	16,832	17,329	20,715	21,443	30,994
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	7,162	8,526	8,285	9,227	8,844
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	23,994	25,855	29,000	30,670	39,838

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग ग: घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 1,235	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 582	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,950	2,130	2,370	2,481	2,849
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	849	981	1,203	1,438	2,156
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	--	--	--	629	6,860
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	--	0.11	14.80
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	56,980 (18.24)	66,448 (16.62)	76,259 (14.76)	85,841 (12.57)	95,587 (11.35)
28 वकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	26,415	28,228	30,442	33,884	38,192
29. वकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,910	3,316	3,353	4,333	4,281
30. प्रत्याभूत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,232	6,208	9,455	9,316	9,316
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	11	13	12	12	13
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	86	930	115	130	141

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।